फर्द अहकाम

रामदेव बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 340/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
0.2024	तहसीलदार सांगानेर मे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं उक्त प्रार्थना पत्र मे जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थी की भूमियों नया खाता स. 30 आराजी खसरा न. 185, 208, 209, व 211 कुल किता 4 कुल रकबा 1.76 हैक्टर वाके ग्राम टीलावास पटवार हल्का देवलिया भू. अभि नि. क्षेत्र ठिकरीया तहसील सांगानेर व अन्य भूमि के के सभी राजस्व रिकार्ड में जिसमें प्रार्थी का नाम रामदेव अंकित है। उस नाम रामदेव की जगह नंछू पुत्र ग्यारसा किये जाने के संबध में आदेश फरमाने व इस संबध में आवश्यक कार्यवाही बाबत की अप्रार्थी स. 1 को आदेश निर्देश देने व प्रार्थी के हक में न्यायासंगत आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को राजस्व ग्राम टीलावास पटवार हल्का देवलिया भू. अभि नि. क्षेत्र ठिकरीया तहसील सांगानेर में स्थित नया खाता स. 30 आराजी खसरा न. 185, 208, 209, व 211 कुल किता 4 कुल रकबा 1.76 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रामदेव की जगह नंछू पुत्र ग्यारसा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.04 11:30:54 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	